

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 69]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 4 फरवरी 2022—माघ 15, शक 1943

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 4 फरवरी 2022

शुद्धि-पत्र

क्र. एफ-ए-3-17-2021-1-पांच (14).—मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्यिक कर विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ ए-3-17-2021-1 पांच (68), दिनांक 12 नवम्बर, 2021 में शब्द और अंक “धारा 13 और 14” के स्थान पर शब्द और अंक “धारा 4 और 5” पढ़ा जाए.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. श्रीवास्तव, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 4 फरवरी 2022

क्र. एफ-ए-3-17-2021-1-पांच.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस आशय का अधिसूचना क्रमांक एफ-ए-3-17-2021-1-पांच (14), दिनांक 4 फरवरी 2022 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. श्रीवास्तव, उपसचिव.

Bhopal, the 4th February 2022

CORRIGENDUM

No. F-A-3-17-2021-1-V (14).—In the notification No. F A-3-17-2021-1-V(68), Date 12th November 2021, of Government of Madhya Pradesh, Commercial Tax Department, for the words and Figures “sections 13 and 14”, the words and figures “sections 4 and 5” Shall be read.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
R. P. SHRIVASTAVA, Dy. Secy.